डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow.
उत्तर प्रदेश सरकार,
मोहान रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226 017
वेबसाइट : http://dsmru.up.nic.in

//कार्यालय ज्ञाप//

कोविड–19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में राज्य के समस्त विश्वविद्यालय में भौतिक रूप से पठन–पाठन पुनः आरम्भ किये जाने हेतु उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–5453/सत्तर–3–2020–08(20)/2020, दिनांक–17 नवम्बर, 2020 द्वारा सुरक्षा, सामाजिक दूरी के दृष्टिगत विभिन्न बिन्दुओं पर मानक सम्बन्धी दिशा–निर्देश निर्धारित करते हुए पोस्ट लॉकडाउन अवधि में भौतिक रूप से पठन–पाठन संचालित किये जाने की व्यवस्था दी गई है।

उक्त शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुक्रम में विश्वविद्यालय में दिनांकः 28.11.2020 से निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में पठन–पाठन आरम्भ किये जाने का निदेश हुआ है–

क्र०सं०	कक्षाओं का विवरण
01	समस्त परास्नातक स्तर के संचालित पाठ्यक्रम।
02	बी.टेक, बी.पी.ओ., बी.ए.एस.एल.पी., बी.काम.एलएलबी

इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा विभाग के उक्त शासनादेश में विभिन्न पहलुओं में बिन्दुवार विश्वविद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थियों के माता–पिता एवं विद्यार्थियों की भूमिका का स्पष्ट मापदण्डों का उल्लेख किया गया है, जिसका अनुपालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाना होगा, इसी प्रकार कक्षा में शिक्षण गतिविधियों के संचालन, छात्रावास, पुस्तकालय, स्वच्छता के साथ–साथ विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर उचित परामर्श दिये जाने हेतु विश्वविद्यालय में हेल्पडेस्क के संचालन सभी मानकों को कड़ाई से अनिवार्य रूप में प्रभावी किया जाना है।

अतः विश्वविद्यालय में कोविड–19 के संक्रमण से बचाव व सुरक्षा हेतु राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत सुरक्षा उपायों/दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए दिनांक 28.11.2020 से उपर्युक्त तालिका में इंगित पाठ्यक्रमों में पठन–पाठन का कार्य संचालित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

संलग्न– शासनादेश।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पत्रांक–1415/पत्रा0सं0–179(III)/DSMNRU/शुल्क निर्धारण/2020–21 दिनांक 26 नवम्बर, 2020

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मा0 कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय को इस आशय से प्रेषित कि तद्नुसार पाठ्यक्रमों में पठन–पाठन का कार्य चरणबद्ध तरीके से संचालित किये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
4. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5. अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट/चीफ प्रोवोस्ट, महिला/पुरूष छात्रावास, विश्वविद्यालय।
6. डॉ0 कमलेश यादव, चिकित्सा अधीक्षक, विश्वविद्यालय।
7. समस्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
8. प्रभारी, हेल्प डेस्क को इस निर्देश के साथ कि कृपया उक्त शासनादेश में वर्णित निर्देशों पर अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
9. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. विश्वविद्यालय के समस्त नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

26.11.2020

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव